तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
10/1/25	पत्रावली पेश हुई। स्था. पेशी० अमीन अधिवक्ता उप. पत्रावली मय दस्तावेजात, मकान आफत आदि मय गवाहान के अध्ययन किया। नक्शा पढ़ मनन करते हुए निगत विवाद बाबधाने मय मय अध्ययन किया। वादग्रस्त आराजी मय मूल गाड़ के मगरदान आदत लगाने आदि पर विपक्ष विपक्षी पर ही निर्णय होना। तब एक हक दस्तावेज प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13/6/23 को मूल गाड़ के निर्णय का पुख्ता किया जाना उचित एवं विधि सम्मत समझते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13/6/23 को मूल गाड़ के निर्णय का पुख्ता किया जाता है। पक्षकार अपना अपना होमट खरचा खुद वहन करेंगे। नकल वकील जाब्ता दारियल दफ्तर लेयक। मिसल जाब्ता है।	

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)